533

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

नीय न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

रण क्रमांक /12 निगरानी (राजस्व)

R - 4123 - II/12

कमरूददीन सिददीकी पुत्र मौला वख्श
निवासी खुजराहो तह. राजनगर जिला
छतरपुर म0प्र0 ----- निगरानीकर्ता

बनाम

श्री आनन्द कुमार जैन, अधि. 5-12-12

1. भगवानदास पटैल पुत्र देवीदीन पटैल
निवासी खजुराहो तह. राजनगर जिला
छतरपुर म.प्र.

5-12-12

2. हरचरन पुत्रपरमाल पटैल निवासी सदर

-- प्रत्यर्थीगण

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25. 10. 2012 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर छतरपुर प्रकरण क्रमांक 145/2011-12 अपील । तहसील न्यायालय राजनगर जिला छतरपुर का प्रकरण क्र. 16/अ-3/2010-11 भगवानदास पटैल आदि म.प्र. शासन आदेश दिनांक 10-5-2011

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी सर्वे क्रमांक 55, 56, 57 रकवा क्रमशः 0.085, 0.024, 0.296 हेक्टे. जुमला रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

जिला-छतरपुर

प्रकरण क्रमांक- निग.- 4123- दो/2012

कमरूददीन सिददीकी विरूद्ध भगवानदास पटेल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए.के.दुबे उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 145/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 25-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 05-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य